न्यायालय सहायक कलक्टर टोंक मैसर्स कोटवाली

तारीख हुक्म	संयुक्त पक्ष मैसर्स बनाम
	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	T-I- प्र.नं. 12/2018
	मुल्ला मय जायदाद एवं जायदाद पर उपस्थित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मूल वाद खारिज हो चुका है। मूल वाद खारिज हो जाने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार निरस्त की जाकर खारिज किया जाता है। प्रकरण में मय मुल्ला होम नम्बर के मय के उपरान्त तकमील उचित लेख कराया है एवं मूल वाद के समान है। निर्णय सरपंच लोक अदालत मैसर्स कोटवाली के मामले आज ही लिखवाया जाकर सुनाया गया।
	खारिज
	सहायक कलक्टर टोंक